संख्या– [५] / 02–नि0अनु0 / 2004

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग।

देहरादूनः दिनांकः 0(अप्रैल, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 में लेखानुदान के अन्तर्गत 01 अप्रैल से 31 जुलाई, 2004 तक की अवधि हेतु अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक संख्या– 3454–के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–240 / वि0अनु0–1 / 2004 दिनांक 27 मार्च, 2004 के अनुक्रम में (प्रति संलग्न) में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में लेखानुदान अवधि 01 अप्रैल से 31 जुलाई, 2004 तक के लिए अनुदान–07 के लेखाशीर्षक–3454–के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार सम्मुख अंकित धनराशि वचनबद्ध तथा अन्य आवश्यक मानक मदों हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत कुल धनराशि रूपये 76.54 लाख (रूपये छियत्तर लाख चौवन हजार मात्र) को आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदो के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम–13 पर शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

5– अवचनबद्ध मदें अथवा समस्त चालू निर्माण कार्य, उपकरण एवं संयत्र का क्रय तथा वाहन आदि के क्रय की स्वीकृति पर शासन की सहमति नितान्त आवश्यक है।

6– यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–00–आयोजनेत्तर–02–सर्वेक्षण सांख्यिकी–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान की संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।
संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

संख्या– (1)/02–नि0अनु0/2004,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5– समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर,देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

C:\Neg\Bugdet03-04

शासनादेश संख्या–151 /02–नि0अनु0/2004 दिनांक:07 अप्रैल, 2004 का संलग्नक।

अनुदान संख्या–7 लेखा शीर्षक–	(धनराशि हजार रूपये में) आयोजनेत्तर
3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	
02–सर्वेक्षण सांख्यिकी	
001–निदेशन तथा प्रशासन	
03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान	
01–वेतन	
02–मजदूरी	4000
03–महँगाई भत्ता	3
04–यात्रा व्यय	2640
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	117
06–अन्य भत्ते	30
08–कार्यालय व्यय	517
09–विद्युत देय	117
10–जलकर/जलप्रभार	50
13–टेलीफोन पर व्यय	7
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	33 40
17–किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	100
योग– (रूपये छियत्तर लाख चौवन हजार मात्र)	7654

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

C:\Negi\Budgt-02-PLG-04-05